>

Title: Need to protect the interests of retail dairy businessmen in the proposed Food Security, Bill 2011.

श्री प्रेमचन्द गुड्डू (उज्जैन): खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2011 में व्यापारी वर्ग के कल्याण हेतु कुछ कमियां हैं, अभी पिछले दिनों मध्य प्रदेश राज्य के सैंकड़ों व्यापारियों ने मुझे एक ज्ञापन दिया जिसमें उन्होंने विधेयक पर पुनर्विचार करने हेतु निवेदन किया है। उन्होंने अपनी समस्या से अवगत कराते हुए बताया कि इस विधेयक में ईमानदारी से कार्य करने वालों को हमेशा अधिकारियों के भय के साये में ही व्यापार करना होगा क्योंकि यदि व्यापारियों से कोई भी मांग की जाती है और व्यापारी के द्वारा पूरी नहीं की गई तो वो अधिकारी खाद्य सुरक्षा अधिकार के माध्यम से जबरन नमूना उठवाकर व्यापारी को परेशान करेंगे। वे मनमाने तरीके से अर्थदण्ड करेंगे। ऐसी स्थिति में छोटा व्यापारी कार्य नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं इस विधेयक से संतुष्ट नहीं हूं लेकिन कानून की मंशा स्पष्ट हो जिससे कोई अधिकारी मनमानी न कर सके। इस विधेयक में प्रत्येक प्रकरण पर अलग-अलग दण्ड निर्धारित होना चाहिए। वर्तमान में खाद्य प्रयोगशाला द्वारा खाद्य को असुरक्षित घोषित करने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 48 का पालन नहीं किया जा रहा है। इस धारा का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

प्रत्येक दुग्ध व्यवसायी को एक डेरी डिप्लोमाधारी व्यक्ति रखना अनिवार्य किया गया है। प्रत्येक शहर में हजारों की संख्या में डेरियां हैं। इतने डिप्लोमाधारी व्यक्ति कहां से लाए जाएंगे। ऐसे में कुछ सैंकड़ों लीटर दूध बेचने वाले व्यवसायी किस प्रकार पूंजी व स्थान के अभाव में निजी लैबोरेटरी व डिप्लोमाधारी की व्यवस्था कैसे कर पाएंगे। इस अधिनियम में कागजी कार्यवाही बहुत ज्यादा है जिससे सामान्य व्यापारी को भी एक व्यक्ति अलग से रखना पड़ेगा। इसलिए कागजी कार्यवाही थोड़ी कम की जाए। देश के इतिहास में अनेक उदाहरण हैं कि अल्प शिक्षा प्राप्त करने वाले कई व्यक्ति अनुभव के आधार पर कुशल व्यवसायी बने परंतु वर्तमान अधिनियम में अनुभव को दरकिनार करते हुए डिप्लोमा अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में अल्प साक्षर व्यवसायियों को अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। नियम ऐसे बनाए जाने चाहिए जो दायरे में रहकर प्रत्येक व्यापारी चाहे वो दूध से जुड़ा या किराना से जुड़ा है उनको कोई असुविधा न हो। अंत में, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधेयक में जनहित की समस्याओं को दृष्टिगत करते हुए उपरोक्त तथ्यों पर पुनर्विचार किया जाए।